

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Prepare detailed operational Plan for RBSK across districts (cost of plan/convergence/monitoring meeting should be kept separately)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.5.1.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया है जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर दो चलन्त चिकित्सा दलों का (प्रत्येक दल में 2 - आयुष चिकित्सक, 1 - फार्मासिस्ट एवं 1 - ए०एन०एम०) गठन कर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में दो बार एवं सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जायेगी।

कार्यक्रम का सुगम संचालन स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से किया जायेगा जिस हेतु अर्न्तविभागीय बैठक आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार से की जायेगी।

1. जिला स्तरीय बैठक (1 बैठक)
2. प्रखण्ड स्तरीय बैठक (1 बैठक)

उक्त दोनों बैठकों में जिला व प्रखण्ड स्तरों के ICDS, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारियों का भाग लेना आवश्यक है। बैठक में चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्न होंगे :-

- कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एवं अद्यतन प्रगति
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की माईक्रोप्लानिंग
- लाभार्थियों का सर्वेक्षण
- कार्य योजना का निर्माण
- कार्य योजना के संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण।

इकाई राशि (रु० में) : 1500 रु० प्रति बैठक (जिला स्तर पर)
750 रु० प्रति बैठक (प्रखण्ड स्तर पर)

वित्तीय दिशा निर्देश :

1.	जिला स्तरीय बैठक	रु० 1500/- प्रति बैठक/ प्रति जिला	रु० 1500 x 38 = 57000/-
2.	प्रखण्ड स्तरीय बैठक	रु० 750/- प्रति बैठक/ प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रु० 750 x 534 = 400500/-

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० राज नारायण द्विवेदी
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 9934409075

Sl. No.	FMR CODE		A.5.1.2					Remarks
	Districts	No. of PHCs	Unit	District level meeting @ Rs. 1500 X 1 Meeting = Rs.1500	PHC level meeting @ Rs.750/ meeting = Rs750.00	Committed Expenditure	Total Amount	
1	Araria	9	10	1500				
2	Arwal	5	6	1500	6750	0	8250	
3	Aurangabad	11	12	1500	3750	0	5250	
4	Banka	11	12		8250	2167500	2177250	Committed Expenditure for due payment of 6 NGOs
5	Begusarai	18	19	1500	13500	0	9750	
6	Bhagalpur	16	17	1500	12000	0	15000	
7	Bhojpur	14	15	1500	10500	0	13500	
8	Buxar	11	12	1500	8250	0	12000	
9	Darbhanga	18	19	1500	13500	0	9750	
10	East Champaran	27	28	1500	20250	0	15000	
11	Gaya	24	25	1500	18000	0	21750	
12	Gopalganj	14	15	1500	10500	0	19500	
13	Jamui	10	11	1500	7500	0	12000	
14	Jehanabad	7	8	1500	5250	0	9000	
15	Kaimur	11	12	1500	8250	0	6750	
16	Katihar	16	17	1500	12000	0	9750	
17	Khagaria	7	8	1500	5250	0	13500	
18	Kishanganj	7	8	1500	5250	0	6750	
19	Lakhisarai	6	7	1500	4500	0	6750	
20	Madhepura	13	14	1500	9750	0	6000	
21	Madhubani	21	22	1500	15750	0	11250	
22	Munger	9	10	1500	6750	0	17250	
23	Muzaffarpur	16	17	1500	12000	0	8250	
24	Nalanda	20	21	1500	15000	0	13500	
25	Nawada	14	15	1500	10500	0	16500	
26	Patna	23	24	1500	17250	0	12000	
27	Purnia	14	15	1500	10500	0	18750	
28	Rohtas	19	20	1500	14250	0	12000	
29	Saharsa	10	11	1500	7500	0	15750	
30	Samastipur	20	21	1500	15000	0	9000	
31	Saran	20	21	1500	15000	0	16500	
32	Sheikhpura	6	7	1500	4500	0	16500	
33	Sheohar	5	6	1500	3750	0	6000	
34	Sitamarhi	17	18	1500	12750	0	5250	
35	Siwan	19	20	1500	14250	0	14250	
36	Supaul	11	12	1500	8250	0	15750	
37	Vaishali	17	18	1500	12750	0	9750	
38	West Champaran	18	19	1500	13500	0	14250	
39	RPMU Bhagalpur	0	0	0	0	0	15000	
40	RPMU Darbhanga	0	0	0	0	0	0	
41	RPMU Kosi	0	0	0	0	0	0	
42	RPMU Magadh	0	0	0	0	0	0	
43	RPMU Munger	0	0	0	0	0	0	
44	RPMU Patna	0	0	0	0	0	0	
45	RPMU Purnia	0	0	0	0	0	0	
46	RPMU Saran	0	0	0	0	0	0	
47	RPMU Tirhut	0	0	0	0	0	0	
48	ANMMCH, Gaya	0	0	0	0	0	0	
49	DMCH, Darbhanga	0	0	0	0	0	0	
50	JLNMCH, Bhagalpur	0	0	0	0	0	0	
51	NMCH, Patna	0	0	0	0	0	0	
52	PMCH, Patna	0	0	0	0	0	0	
53	SKMCH, Muzaffarpur	0	0	0	0	0	0	
54	IGIMS	0	0	0	0	0	0	
55	SIHFW	0	0	0	0	0	0	
Total		534	572	57000	400500	2167500	2625000	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Mobility Support for Mobile Health Team

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.5.1.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया है जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर दो चलन्त चिकित्सा दलों का (प्रत्येक दल में 2 - आयुष चिकित्सक, 1 - फार्मासिस्ट एवं 1 - ए०एन०एम०) गठन कर आँगनवाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में दो बार एवं सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जायेगी।

इस हेतु सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों पर चलन्त चिकित्सा दलों के आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो चलन्त चिकित्सा दल होंगे (आँगनवाड़ी एवं सरकारी विद्यालयों में स्वास्थ्य जाँच हेतु) अर्थात् प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवागमन हेतु दो वाहनों की व्यवस्था की जायेगी।

इकाई राशि (रु० में) : 20,000/- रु० प्रति वाहन प्रति माह।

वित्तीय दिशा निर्देश :

राज्य के कुल 38 जिलों के 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए $534 \times 2 = 1068$ वाहनो की व्यवस्था की जायेगी।

चलन्त चिकित्सा दल हेतु वाहन की व्यवस्था	रु० 20,000/- माह के दर से	रु० 20,000 प्रति माह प्रति वाहन X 2 दल प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र X 2 माह	रु० 80,000/- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रु० 80000 X 534 = 42720000/-
---	---------------------------	---	---	------------------------------

ध्यान देने योग्य :-

1. वाहन का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चलन्त चिकित्सा दलों (आयुष चिकित्सक-2, फार्मासिस्ट-1, एवं ए०एन०एम०-1) के गठन के पश्चात् स्वास्थ्य जाँच हेतु किया जाना है।
2. वाहन का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य जाँच हेतु आवागमन के लिए ही किया जाना है।
3. वाहन के रूप में टाटा सूमो/बोलेरो का उपयोग किया जायेगा। साथ ही अनुबंध के समय यह ध्यान दिया जाये कि वाहन जनवरी 2012 के बाद का निर्मित हो।
4. वाहन के लॉग बुक का संधारण प्रतिदिन यात्रा के पूर्व तथा यात्रा के बाद किसी एक आयुष चिकित्सक द्वारा किया जायेगा जिसे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० राज नारायण द्विवेदी
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 9934409075